

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED

कोच्ची / KOCHI - 15

सं/No.PERL/17(28)/2014 Pt

तिथि/Date: 10 अगस्त/Aug 2022

वर्ष 2022-23 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी

आईपी/डे केयर उपचार के लिए कमरे का किराया और नर्सिंग शुल्क की पात्रता

GROUP MEDICLAIM POLICY FOR RETIRED EMPLOYEES FOR THE YEAR 2022-23

ENTITLEMENT OF ROOM RENT & NURSING CHARGES FOR IP / DAY CARE

TREATMENT


1. कृपया वर्ष 2022-23 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी से संबंधित दिनांक 20 मई 2022 के परिपत्र सं. पीईआरएल/17 (28)/2014 भाग का संदर्भ लें।
Please refer Circular No.PERL/17(28)/2014 Pt dated 20 May 2022 with regard to Group Mediclaim Policy for Retired Employees for the year 2022-23.
2. योजना के अंतर्गत कमरा/बिस्तर प्रभारों की पात्रता के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं और अब इस संबंध में पात्रता को निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :
Several queries on entitlement for Room/Bed charges under the scheme have been received from the retired employees and it has now been decided to fix entitlement in this regard as under:

क्र. सं. S.N	सेवानिवृत्ति के समय श्रेणी Category at the time of Retirement	पात्रता कोड Entitlement Code	प्रतिदिन कमरे का किराया + नर्सिंग प्रभार (रु.) Per Day Room Rent + Nursing Charges (Rs.)
1	कामगार Workmen	W	2,000.00
2	पर्यवेक्षक Supervisors	S	3,500.00
3	कार्यपालक (सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक/ प्रबंधक एवं व. प्रबंधक) Executives (Asst. Manager / Dy. Manager/ Manager & Sr. Manager)	E2	5,000.00
4	कार्यपालक (स.म.प्र., उ.म.प्र., म.प्र., मु.म.प्र. एवं का.नि.) Executives (AGM, DGM, GM, CGM & ED)	E1	5,500.00
5	अ. एवं प्र. नि. एवं निदेशकगण CMD & Directors	D	7,900.00

3. उपरोक्त पात्रता विवरण बीमा कंपनी को पहले ही सूचित कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों द्वारा पूर्व-प्राधिकरण और आईपी/ डे केयर उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के सभी अनुरोधों को कमरे/ बिस्तर प्रभार पर उपरोक्त उच्चतम सीमा के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

The above entitlement details have already been communicated to the Insurance Company. All requests for Pre-Authorisation and reimbursement of expenses towards IP/Day care treatment by the retired employees and their eligible dependents during the year 2022-23 shall be approved based on the above ceiling on room/bed charges.

4. उपरोक्त उच्चतम सीमा दिनांक 03 अगस्त 2022 से लागू होगी।
The above mentioned ceiling shall be applicable with effect from 03 Aug 2022.
5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of the Competent Authority.


(ए के सुबाष / A K Subash)
महाप्रबंधक (मा.सं.) / General Manager (HR)

सेवा में / To :

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी / All Retired Employees
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी यूनियन और संघ।
All Unions and Associations representing Retired Employees

प्रतिलिपि / Copy to:

नि (तक.) / नि (वि.) / नि (प्र) / D(T) / D(F) / D(O)
मु.स.अ. / CVO
मु.म.प्र. / म.प्र. / उ.म.प्र. / CGMs / GMs / DGMs
मु.सु.अ. / मु.क.अ. / मु.चि.अ. / CSO / CWO / CMO